'भारतीय क्षेत्र में आतंकवादी/ सांप्रदायिक/ वामपंथी उग्रवादी हिंसा तथा सीमा पार से गोलीबारी तथा सुरंगी/ आईईडी विस्फोटों से पीड़ित आम नागरिकों/ नागरिकों के परिवार की सहायता के लिए केंद्रीय योजना' से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश, 2019

1. **<u>योजना का शीर्षक</u>**

इस योजना का नाम 'भारतीय क्षेत्र में आतंकवादी/ सांप्रदायिक/ वामपंथी उग्रवादी हिंसा तथा सीमा पार से गोलाबारी तथा सुरंगी/ आईईडी विस्फोटों से पीड़ित आम नागरिकों/ नागरिकों के परिवार की सहायता के लिए केंद्रीय योजना' होगा।

2. **<u>परिचय एवं लक्ष्य</u>**

योजना का व्यापक उद्देश्य भारतीय क्षेत्र में आतंकवाद, विद्रोह, सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा तथा सीमा पार से गोलीबारी एवं सुरंगी/आईडीडी विस्फोटों सहित आतंकवादी हिंसा से पीड़ित आम नागरिकों की सहायता करना है।

3. **<u>परिभाषाएं</u>**

क) **सांप्रदायिक हिंसा** का अभिप्राय विद्वेष अथवा घृणा फैलाने या व्यक्त करने के उद्देश्य से किसी एक समुदाय के सदस्यों द्वारा अन्य समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध सुनियोजित और संगठित हिंसात्मक गतिविधि से है, जिसमें लोगों की मौत हो जाती है अथवा वे घायल हो जाते हैं।

ख) **सीमा पार से गोलीबारी:** सीमा पार से गोलीबारी में पड़ोसी देशों के सशस्त्र बलों द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी)/नियंत्रण रेखा (एलओसी)/ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पार से गोलीबारी/बमबारी करना शामिल है।

ग) **वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हिंसा (एलडब्ल्यूई)** का अभिप्राय सीपीआई (माओवादी), इसके सभी संगठनों एवं अग्रणी संगठनों, जिन्हें विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत दिनांक 22.06.2009 से एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया एवं प्रतिबंधित किया गया है, के सदस्यों द्वारा सुनियोजित एवं संगठित हिंसात्मक गतिविधियों से है।

घ) **निकटतम संबंधी (एनओके):** जीवित पति या पत्नी या आश्रित बच्चे अथवा जैसा कि जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

ड.) **स्थायी अशक्तता** अर्थात् पीड़ित को हुई 50% और उससे अधिक अक्षमता, जो स्थायी प्रकृति की हो और जिसमें ऐसी अक्षमता के स्तर में कोई परिवर्तन होने की कोई संभावना न हो तथा इस क्षति/अक्षमता के परिणामस्वरूप पीड़ित अपने शेष जीवन के लिए सामान्य जीवन जीने योग्य नहीं रहता हो।

च) **आतंकवाद:** इस योजना के उद्देश्य से, 'आतंकवाद' शब्द में आतंकवाद एवं विद्रोह संबंधी हिंसा शामिल हैं तथा इसमें वे गतिविधियां शामिल हैं, जैसा कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 15 में परिभाषित है।

छ) **पीड़ित** अर्थात् वह आम नागरिक (सिविलियन), जिसने आतंकवादी हिंसा की गतिविधि/अपराध, जिसमें भारतीय क्षेत्र में आतंकवाद, विद्रोह, सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवाद, सीमा पार से गोलीबारी तथा बारूदी सुरंग/आईईडी विस्फोट शामिल हैं, के परिणामस्वरूप हानि अथवा क्षति उठाई हो। उनकी मृत्यु होने की स्थिति में, 'पीड़ित' शब्द का अर्थ उसका अभिभावक अथवा कानूनी उत्तराधिकारी अथवा निकटतम संबंधी (एनओके) होगा।

आतंकवाद तथा सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित आम नागरिकों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना 1 अप्रैल, 2008 से तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हिंसा के मामलों के लिए 22 जून, 2009 से लागू है। भारतीय क्षेत्र में सीमा पार से गोलीबारी तथा बारूदी सुरंग/आईईडी विस्फोट के लिए यह मंत्रिमंडल के अनुमोदन की तिथि अर्थात् 24.08.2016 से लागू है।

4. <u>पात्रता</u>

i. भारतीय क्षेत्र में आतंकवाद, सांप्रदायिक अथवा वामपंथी उग्रवादी हिंसा, सीमा पार से गोलीबारी तथा सुरंगी/आईईडी विस्फोटों में पीड़ित आम नागरिक की मृत्यु होने अथवा उसके स्थायी रूप से अशक्त होने की स्थिति में वित्तीय सहायता परिवार के सदस्य(यों) को दी जाएगी।

ii. पति अथवा पत्नी, जैसा भी मामला हो, की मृत्यु/स्थायी अशक्तता की स्थिति में जीवित पति अथवा पत्नी को सहायता प्रदान की जाएगी। तथापि, यदि एक ही हिंसा की घटना में पति-पत्नी दोनों मारे जाते हैं, तो प्रत्येक मामले में परिवार सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा।

iii. पीड़ितों के परिवार तब भी योजना के तहत सहायता पाने के पात्र होंगे, जब कि वे सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से अनुग्रह राशि के भुगतान या किसी अन्य प्रकार की राहत के रूप में कोई अन्य सहायता प्राप्त कर चुके हों, बशर्ते केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही इसी प्रकार की योजना लागू न की जा रही हो।

iv. केंद्रीय योजना के तहत पीड़ित आम नागरिक/निकटतम संबंधी तब भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा जब कि उसे अथवा परिवार में किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर स्थायी सरकारी नौकरी प्रदान की गई हो।

v. सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) वाले जिलों/राज्यों के पीड़ित आम नागरिक/निकटतम संबंधी केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। जम्मू एवं कश्मीर के मामले में, वित्तीय सहायता जम्मू और कश्मीर प्रभाग (वर्तमान में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख कार्य प्रभाग), गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 14 जून, 2018 के पत्र सं. 16016/4/2017-के-V द्वारा शासित होगी।

vi. राज्य सरकार/राज्य पीएसई तथा राज्य सरकार के समान संगठनों सहित केंद्र सरकार, सीपीएसई, स्वायत्त संस्थानों तथा अन्य सरकारी संगठनों के कार्मिकों के निकटतम संबंधी भी भारतीय क्षेत्र में आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी और सीमा पार से गोलीबारी तथा सुरंगी/आईईडी विस्फोट की घटनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु/स्थायी अशक्तता (50% तथा अधिक) होने की स्थिति में 3 लाख रुपए/5 लाख रुपए, जो भी लागू हो, की वित्तीय सहायता पाने के पात्र होंगे।

vii. **विदेशी नागरिकों तथा अनिवासी भारतीय (एनआरआई) भी दिनांक 01.04.2008, अर्थात् इस योजना के लागू होने की तारीख से इस योजना के तहत पात्र/शामिल होंगे।**

viii. जो स्थायी रूप से अशक्त हो गए हैं, उन्हें तथा आंतकवादी, साम्प्रदायिक अथ वामपंथी उग्रवादी हिंसा तथा सीमा पार से गोलीबारी और भारतीय भू-भाग में बारूदा सुरंग/आईईडी विस्फोट में मारे गए पीड़ित आम नागरिकों के परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही जिला स्वास्थ्य सोसायटी द्वारा एक स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड से वे हिंसा के कारण हुई क्षति तथा अन्य मुख्य बीमारियों के संबंध में नि:शुल्क चिकित्सा उपचार हेतु पात्र होंगे। इस स्कीम के लाभार्थियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की चालू स्कीमों यथा राष्ट्रीय आरोग्य निधि तथा "नेशनल ट्रॉमा केयर प्रोजेक्ट" के अंतर्गत **विशेष मामले के बतौर** भी चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

ix. परिवार के बच्चे गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव संगठन (एनएफसीएच) द्वारा लागू परियोजना 'असिस्ट' के अंतर्गत अनुमेय सहायता के लिए पात्र बने रहेंगे।

x. इस योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए परिवार की आय के संबंध में किसी भी अन्य मानदंड पर विचार नहीं किया जाएगा।

xi. हिंसा करने वाले अथवा उनके परिवार के सदस्य योजना के अंतर्गत किसी भी सहायता के पात्र नहीं होंगे।

xii. पात्र दावाकर्ता आतंकवादी, साम्प्रदायिक अथवा वामपंथी उग्रवादी हिंसा तथा सीमा पार से गोलीबारी तथा भारतीय भू-भाग पर सुरंगी/आईईडी विस्फोट की घटना के **3 वर्ष के भीतर** निर्धारित प्रारूप **(अनुलग्नक-I)** में अपना दावा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/डीसी/राज्य सरकार के मार्फत प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि, राज्य सरकार की सिफारिशों पर अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा स्वयं ही संज्ञान लेकर पात्र मामलों में समय-सीमा में छूट दी जा सकती है।

5. <u>सहायता</u>

i) **इस योजना के अंतर्गत, प्रभावित परिवार को प्रत्येक मृत्यु अथवा स्थायी अशक्तता के लिए 3 लाख रुपए की राशि (24.08.2016 से पूर्व घटित हुई घटनाओं के लिए) और 5 लाख रुपए की राशि (24.08.2016 को अथवा इसके पश्चात हुई घटनाओं के लिए) प्रदान की जाएगी।**

ii) 3 लाख रुपए अथवा 5 लाख रुपए, जैसा भी मामला हो, की वित्तीय सहायता तुरंत निम्निलखित तरीके से प्रदान की जाएगी:

क) वित्तीय सहायता की 50% राशि पीड़ित आम नागरिक/लाभार्थी के आधार से जुड़े बचत बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी और

ख) वित्तीय सहायता की शेष 50% राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते [परिवार के सदस्य/यों के संयुक्त अथवा एकल नाम पर] में जमा कर दी जाएगी, (यदि लाभार्थी के आसपास के क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता खोला जाए)। इसकी **लॉक-इन अवधि कम से कम 3 वर्ष** अथवा यदि परिवार में केवल नाबालिग बच्चे हैं, तो यह अवधि सबसे बड़े बच्चे के बालिग होने, जो कोई भी बाद में हो तक की होगी।

iii) जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, बैंक को इन निर्देशों के साथ लाभार्थी के सावधि जमा खाते में भुगतान करेंगे कि **लॉक-इन अवधि की शर्तें निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त की जा सकती हैं**,

(i) आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा,

(ii) पहली आवासीय संपत्ति का निर्माण,

(iii) महंगा चिकित्सीय उपचार, अथवा जैसा भी समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

iv) बैंक को, लॉक-इन अवधि के दौरान तिमाही ब्याज और लॉक-इन अवधि के पश्चात मूल राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा करने हेतु स्थायी अनुदेश दिए जाएंगे।

v) लाभार्थी की मृत्यु अथवा स्थायी अशक्तता के मामले में, उनके निकटतम संबंधी के खाते को संचालित करेंगे।

vi) स्थायी अशक्तता के मामले में पीड़ित स्वयं ही लाभार्थी होगा। तथापि, यदि वह खाते को संचालित करने की स्थिति में न हो, तो उनके नामिती खाते को संचालित करेंगे।

6. जिला स्तर पर अनुपालन हेतु पद्धति

(i) जिला मजिस्ट्रेट/क्लेक्टर/डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति, जिसके सदस्यों में जिला पुलिस अधीक्षक, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बाल एवं महिला विकास अधिकारी एवं राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक अधिकारी होंगे, लाभार्थियों की पहचान करेगी तथा योजना के तहत सहायता के लिए उनकी पात्रता को सत्यापित करेगी।

(ii) पात्रता दावों की जाचें करते समय, जिला स्तरीय समिति पुलिस रिपोर्ट/एफआईआर, मृत्यु के मामले में मृत्यु-सह-पोस्टमार्टम प्रमाण पत्र तथा स्थायी अक्षमता की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र, दावाकर्ता के जन्म प्रमाण पत्र (यदि नाबालिग हो) तथा ऐसे किसी भी अन्य दस्तावेज की जांच करेगी, जिसे वैध दावाकर्ता के निर्धारण के लिए आवश्यक समझा गया हो।

(iii) स्थायी अशक्तता के मामले में, जिला चिकित्सा अधिकारी से एक प्रमाण पत्र आवश्यक होगा जो यह दर्शाता हो कि पीड़ित की अक्षमता 50% एवं इससे अधिक है और यह अक्षमता स्थायी प्रकृति की है तथा अक्षमता की श्रेणी में कोई अंतर होने की संभावना नहीं है तथा चोट के परिणामस्वरूप पीड़ित अपने शेष जीवन का निर्वाह सामान्य रूप से नहीं कर पाएगा।

(iv) परिवार में लाभार्थी के चयन में, निकटतम संबंधी की अवधारणा को अपनाया जाएगा।

(v) जिला स्तरीय समिति स्वयं को इस तथ्य के प्रति संतुष्ट करेगी कि पीड़ित की आतंकवाद, साम्प्रदायिक अथवा वामपंथी उग्रवाद, सीमा-पार से गोलीबारी तथा भारतीय भू-क्षेत्र में सुरंगी/आईईडी विस्फोट,जैसा भी मामला हो, के कारण मृत्यु हुई है अथवा वह चोटग्रस्त हुआ है तथा लाभार्थी की पहचान योजना के अनुसार की गई है। वह यह

भी सत्यापित करेगी कि पीड़ित की किसी आपराधिक घटना अथवा प्राकृतिक कारणों से क्षति/मृत्यु नहीं हुई है।

(vi) जिला स्तरीय समिति, जहां तक संभव हो, सहायता का दावा प्राप्त होने के 15 दिन के अंतर्गत आतंकवादी/साम्प्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) हिंसा, सीमा-पार से गोलीबारी तथा भारतीय भू-क्षेत्र में सुरंगी/ आईईडी विस्फोट के पीड़ित आम नागरिकों/ नागरिकों के परिवार को सहायता देने हेतु अपनी सिफारिश (अनुलग्नक-II) में करेगी।

(vii) योजना के प्रावधानों के अनुसार, आवेदन की प्रोसेसिंग तीन सप्ताह के अंतर्गत की जाएगी, जिसमें जिला स्तरीय समिति की सिफारिशें शामिल हैं।

(viii) स्वीकृति आदेश डी एम/डी सी द्वारा राज्य सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। स्वीकृति आदेश की एक प्रति अवर सचिव, वी टी वी अनुभाग, आतंरिक सुरक्षा-II प्रभाग, गृह मंत्रालय, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली को पृष्ठांकित की जाएगी।

(ix) जिला मैजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त राज्य सरकार द्वारा पीड़ित/निकटतम संबंधी को वित्तीय सहायता उनके के० वाई० सी० अनुपालन वाले बचत बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण/डीबीटी के माध्यम से जारी की जाएगी।

(x) राज्य सरकार योजना के बारे में व्यापक रूप से सूचना का प्रसार करेगी और उसका प्रचार करेगी।

7. <u>गृह मंत्रालय द्वारा अनुपालन हेतु पद्धति</u>

i. आतंकवादी/साम्प्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा तथा सीमा-पार से गोलीबारी एवं भारतीय भू-क्षेत्र में सुरंगी/आईईडी विस्फोट के पीड़ितों के निकटतम संबंधी को योजना के अंतर्गत डीएम/डी सी द्वारा भुगतान कर दिए जाने के पश्चात्, राज्य सरकार

प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों में (अनुलग्नक I से VII) प्रस्ताव मूल रूप गृह मंत्रलाय को प्रस्तुत करेगी।

ii. इस संबंध में प्रतिपूर्ति पर लेखा-परीक्षित लेखाओं के आधार पर विचार किया जाएगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखाओं के लेखापरीक्षा में विलंब के कारण राज्य को समस्या नहीं हो, अंतरिम आदेश, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत लेखा तथा एकीकृत वित्त प्रभाग (आई एफ डी), गृह मंत्रालय द्वारा विधिवत संवीक्षा के बाद तदर्थ भुगतान किए जाएंगे। ये तदर्थ भुगतान अंतिम परीक्षा-परीक्षित लेखा उपलब्ध होने के पश्चात समायोजित किए जाएंगे। **केन्द्रीय सरकार 70% भुगतान तत्काल करेगी तथा शेष 30% का भुगतान गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखा-परीक्षा शाखा की लेखा-परीक्षा सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात किया जाएगा।**

iii. ये संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 03.10.2019 से लागू होंगे।

8. बचत प्रावधान

योजना के कार्यान्वयन में कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित होने/समस्या होने पर, गृह मंत्रालय के आतंरिक सुरक्षा-II प्रभाग द्वारा उपयुक्त आदेश/स्पष्टीकरण जारी किए जाएंगे।

*****

अनुलग्नक-I

भारतीय भू-क्षेत्र में आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा तथा सीमा-पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग/आईईडी विस्फोटों से पीड़ित आम नागरिकों/ नागरिकों के परिवार की सहायता के लिए आवेदन पत्र

भाग क

(स्पष्ट अक्षरों में भरने हेतु)

क. **पीड़ित के ब्यौरे**

1. नाम :
2. आयु :
3. लिंग :
4. व्यवसाय :
5. पिता का नाम/पति का नाम :
6. माता का नाम :
7. पता :
8. पहचान का प्रमाण :
   (अनुलग्नक-VII में सूचीबद्ध फोटो पहचान के प्रमाणों में से कोई एक)
9. पीड़ित पर हिंसा का प्रभाव (कृपया निशान लगाएं) : मृत्यु/स्थायी अशक्तता (50 % और अधिक)
10. 50% और अधिक अशक्तता की स्थिति में, अक्षमता का प्रतिशत:

ख. **पीड़ित के परिवार के सदस्यों के ब्यौरे**

क्र. सं.	नाम	लिंग	आयु	पिता/पति का नाम	पीड़ित से संबंध

ग. **लाभार्थी के ब्यौरे:**

1. नाम :
2. आयु (जन्म तिथि) :
3. लिंग :

4. लाभार्थी का व्यवसाय
   यदि पीड़ित पर आश्रित हो :
5. पिता/पति का नाम :
6. माता का नाम :
7. पहचान का प्रमाण :
8. भारतीय भू-भाग में आतंकवादी/साम्प्रदायिक /वामपंथी उग्रवादी हिंसा/ सीमा पार से गोलीबारी /बारूदी सुरंग/आईईडी विस्फोटों के पीड़ितों के साथ संबंध :

घ. **<u>घटना के ब्यौरे</u>**

1. स्थान :
2. तारीख :
3. समय :
4. घटना के ब्यौरे :
5. एफआईआर संख्या एवं तारीख :
6. पुलिस थाना क्षेत्र :

ड. **घोषणा:** मैं इस सहायता को परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण में उपयोग करने का वचन देता हूं, जिसमें नाकाम होने पर यह सहायता बिना नोटिस के किसी भी समय वापस ली जा सकती है।

(लाभार्थी के हस्ताक्षर)

जिला स्तरीय समिति की सिफारिशें

यह प्रमाणित किया जाता है कि..... (पीड़ित का नाम) आयु.....वर्ष, पुरुष/स्त्री, निवासी..... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री/श्रीमति ..... की मृत्यु/स्थायी अशक्तता (50 % और अधिक) (भारतीय भू-भाग में साम्प्रदायिक/आतंकवादी/एवं सुरंगी/आईईडी विस्फोट) की घटना में..... (दिनांक) को.....(समय) हुई। श्री/श्रीमती/कुमारी.....(पीड़ित का नाम) के..... (संबंध) श्री/ श्रीमती/ सुश्री ..... (लाभार्थी का नाम), आयु.....वर्ष, पुरुष/स्त्री, को भारतीय भू-भाग में आतंकवादी, साम्प्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा एवं सीमा-पार से गोलीबारी एवं सुरंगी /आईईडी विस्फोटों के पीड़ित आम नागरिकों /नागरिकों के परिवारों के लिए केन्द्रीय सहायता योजना के तहत 3 लाख/5 लाख रुपये (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगाएं) की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए योग्य पाया गया है। इनके नाम की सिफारिश जिला स्तरीय समिति द्वारा की गई है। यह प्रमाणित किया जाता है कि:-

i. पीड़ित को यह क्षति किसी अन्य आपराधिक घटना अथवा प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है।

ii. पीड़ित/लाभार्थी हिंसा का अपराधकर्ता नहीं है।

दावाकर्ता ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं:

1. एफआईआर रिपोर्ट
2. मृत्यु सह शव-परीक्षण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
3. चिकित्सा प्रमाण पत्र (अशक्तता की स्थिति में)
4. ऐसा कोई प्रमाण, जो लाभार्थी से पीड़ित के संबंध को दर्शाता हो (यदि पीड़ित ही लाभार्थी हो, तो आवश्यक नहीं)
5. पीड़ित और लाभार्थी के फोटो पहचान प्रमाण की सत्यापित फोटोकापी (जैसा कि अनुलग्नक-VII में वर्णित है।)
6. जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य (यदि लाभार्थी अवयस्क हो)
7. जिला स्तरीय समिति की सिफारिश (सदस्यों के हस्ताक्षर सहित)

(श्री/श्रीमती/कुमारी).....(लाभार्थी का नाम) के नाम पर भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

क) ..... (बैंक का नाम) में तीन वर्ष की अवधि के लिए एफडी खाते में रु 2,50,000/-

ख) ..... (बैंक का नाम) में बचत खाते में रु 2,50,000/-

दिनांक:

स्थान:

(जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट अथवा उप आयुक्त
अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत
किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर,
रबड़ की मोहर सहित)

तारीख/स्थान सहित घटना का संक्षिप्त विवरण	घटना की श्रेणी (भारतीय क्षेत्र में आतंकवादी/सांप्रदायिक/ वामपंथी उग्रवादी हिंसा एवं सीमा-पार से गोलीबारी तथा सुरंगी/आईईडी विस्फोट)	मारे गए/50% या इससे अधिक की स्थायी अशक्तता वाले पीड़ित का नाम	लाभार्थियों के नाम एवं पीड़ित के साथ उनके संबंध	केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सहायता राशि	केन्द्र सरकार (गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि)

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

I. **भारतीय भू-भाग में आतंकवादी/सांप्रदायिक/वामपंथी उग्रवादी हिंसा तथा सीमा-पार से गोलीबारी और सुरंगी /आईईडी विस्फोटों के पीड़ित आम नागरिकों /नागरिकों के परिवार को सहायता की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत उपर्युक्त पीड़ित के मामले में, पूर्व में प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया गया है।**

II. **(श्री/श्रीमती/कुमारी).....(लाभार्थी का नाम) के नाम पर भुगतान निम्नलिखित तरीके से किया जा चुका हैं:**

क) ..... (बैंक का नाम) में तीन वर्ष की अवधि के लिए एफडी खाता सं०.....में रु 2,50,000/-

ख) ..... (बैंक का नाम) में बचत खाता सं०.....में रु 2,50,000/-

तारीख:.....

स्थान:.....

(जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट
अथवा उप आयुक्त अथवा
उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी
के हस्ताक्षर, रबड की मोहर सहित)

डीएम/ डीसी का एजेंसी का ब्यौरा

1.	पंजीकरण का प्रकार	राज्य सरकार के संस्थान
2.	एजेंसी का नाम*	
3.	अधिनियम/पंजीकरण संख्या	
4.	पंजीकरण की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	
5.	पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी	
6.	पंजीकरण का राज्य*	
7.	टिन नम्बर	
8.	आईएएन नम्बर	
9.	ब्लॉक सं./भवन/ग्राम/परिसर का नाम*	
10.	सड़क/मार्ग/डाक घर*	
11.	क्षेत्र/जगह*	
12.	शहर*	
13.	राज्य*	
14.	जिला*	
15.	पिन कोड*	
16.	व्यक्ति, जिसे संपर्क करना है*	
17.	फोन नम्बर*	
18.	वैकल्पिक फोन/मोबाइल नम्बर*	
19.	ईमेल*	
20.	यूनिक एजेंसी कोड*	

* के रूप में चिन्हित सभी फील्ड अनिवार्य हैं।

(जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट
अथवा उप आयुक्त अथवा
उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी
के हस्ताक्षर, रबड़ की मोहर सहित)

डीएम/ डीसी का मैंडेट प्रपत्र

भुगतान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (क्रेडिट क्लियरिंग)/रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सुविधा

क. खाताधारकों का विवरण:-

खाताधारक का नाम	
संपर्क का पूरा पता	
दूरभाष संख्या/फैक्स/ईमेल	

ख. बैंक खाते का विवरण:-

बैंक का नाम	
पूरा पता सहित शाखा का नाम	
दूरभाष संख्या और ईमेल	
क्या शाखा कंप्यूट्रीकृत है ?	
क्या शाखा आरटीजीएस समर्थित है ? यदि हां, तो शाखा का आईएफएससी कोड क्या है ?	
क्या शाखा एनईएफटी समर्थित भी है ?	
बैंक खाते का प्रकार (बचत खाता/चालू/कैश क्रेडिट)	
पूर्ण बैंक खाता संख्या (हाल का)	
बैंक का एमआईसीआर कोड	

लागू होने की तारीख:-

मैं, एतदद्वारा यह घोषित करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि, अपूर्ण अथवा गलत सूचना के कारण कार्रवाई में विलम्ब होता है अथवा कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती है, तो मैं इस संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा। मैंने विकल्प आमंत्रण पत्र का अवलोकन कर लिया है और इस स्कीम के अंतर्गत एक सहभागी के रूप में मेरे से अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सहमत हूं।

तारीख
ग्राहक के हस्ताक्षर
प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं।

बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर

(बैंक की मोहर)
तारीख:

अनुलग्नक-vi

आतंकवादी/ साम्प्रदायिक/ वामपंथी /उग्रवादी हिंसा तथा सीमा पार की गोलीबी एवं भारतीय भूभाग में सुंरगी/ आईईडी विस्फोटो से पीडित नागरिकों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना हेतु माह———————. 2020 की मासिक प्रगति रिपोर्ट

राज्य जिला का नाम	योजना का नाम	कुल लाभार्थी	कुल लाभार्थियों की संख्या बैंक खाता सहित	कुल लाभार्थियों की संख्या आधार बैंक खाता सहित.	कुल लाभार्थियों की संख्या बैंक खाता वरियता सहित	डी बी टी लेनदेन की कुल संख्या	केन्द्र द्वारा सीधे पी एफ एम एस में डी बी टी लेनदेन की कुल संख्या	राज्यों/बिचौलियों द्वारा सीधे पी एफ एम एस में डी बी टी लेनदेन की कुल संख्या	लेनदेन का कुल मूल्य	केन्द्र द्वारा पी एफ एम एस मे कुल लेनदेन का मूल्य	राज्य/ बिचौलियों द्वारा पी एफ एम एस में कुल लेनदेन का मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आतंकवादी/ साम्प्रदायिक/ वामपंथी /उग्रवादी हिंसा तथा सीमा पार की गोलीबी एवं भारतीय भूभाग में सुंरगी/ आईईडी विस्फोटों से पीड़ित नागरिकों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना										

** जिला : ——————— राज्य : ——————— का विवरण

गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने से पूर्व जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के लिए चेक लिस्ट

1. विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित अनुलग्नक-I मूल रूप में
2. विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित अनुलग्नक-II मूल रूप में
3. विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित अनुलग्नक-III मूल रूप में
4. विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित अनुलग्नक-IV मूल रूप में
5. विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित अनुलग्नक-V मूल रूप में
6. विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित अनुलग्नक-VI मूल रूप में
7. पीड़ित आम नागरिक तथा लाभार्थी के फोटो पहचान प्रमाण की सत्यापित प्रति (निम्नलिखित में से कोई एक):
   i. आधार कार्ड, यदि उसने अपना नामांकन करा लिया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची;
   ii. फोटो सहित बैंक अथवा डाकघर की पास बुक;
   iii. मतदाता पहचान पत्र;
   iv. स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड;
   v. राशन कार्ड;
   vi. पासपोर्ट;
   vii. किसान फोटो पास बुक;
   viii. ड्राइविंग लाइसेंस जिसे मोटर वाहन अधिनिमय, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो;
   ix. किसी शासकीय पत्र शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र जिसमें लाभार्थी की फोटो लगी हो;
   x. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जॉब कार्ड;
   xi. मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।
8. नोडल अधिकारी का संपर्क ब्यौरा अर्थात फोन नम्बर (लैंडलाइन/मोबाइल), फैक्स, ईमेल तथा डाक पता।
9. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर का संपर्क ब्यौरा अर्थात फोन नम्बर (लैंडलाइन/मोबाइल), फैक्स, ईमेल तथा डाक पता।